(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–II-खण्ड–3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ)
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

अधिसूचना सं0 35/2015–2020
नई दिल्ली, दिनांक 29 जनवरी, 2016

विषयः– विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के पैरा 5.01 (छ) में संशोधन।

सा0 आ0 (अ0): समय–समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैराग्राफ 1.02 के साथ पठित यथासंशोधित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा विदेश व्यापार नीति 2015–2020 में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती हैः

विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के पैरा 5.01(छ) में संशोधन।

(क) विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के संशोधित पैरा 5.01(छ) को निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः

"(छ) विद्युत उत्पादन/प्रेषण (कैप्टिव संयंत्र और किसी भी किस्म के विद्युत उत्पादन सेट सहित) के लिए ईपीसीजी स्कीम के तहत किसी पूंजीगत माल के आयात के लिए प्राधिकार पत्र जारी नहीं किया जाएगा।"

(ख) विदेश व्यापार नीति 2015–2020 का संशोधित पैरा 5.01(छ) (iii) निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः

"(iii) विद्युत (ऊर्जा) की उनकी अपनी यूनिट में आपूर्ति, और"

इस अधिसूचना का प्रभावः विद्युत उत्पादन/प्रेषण के लिए ईपीसीजी स्कीम के तहत किसी पूंजीगत माल के आयात की अनुमति नहीं है। इससे प्रावधान पुनः स्पष्ट हो जाता है।

(अनूप वधावन)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा0सं0 18/62/एएम–16/पीसी–5 से जारी)